**अंतिम मसौदा**

**भारत गणराज्य सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय**
**और**
**ऑस्ट्रेलिया सरकार के शिक्षा, कौशल और रोजगार विभाग**
**के बीच**
**व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सहयोग पर**

# समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) तथा ऑस्ट्रेलिया सरकार के शिक्षा, कौशल और रोजगार विभाग (जिन्हें इसमें आगे "प्रतिभागी" कहा गया है)

राष्ट्रीय विकास में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के महत्व को समझते हुए

दोनों देशों के बीच वीईटी में सहयोग को सुदृढ़ करने और व्यापक बनाने की इच्छा से

शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग करने संबंधी समझौता ज्ञापन को स्वीकार करते हुए, ऑस्ट्रेलिया सरकार और भारत गणराज्य सरकार द्वारा 24 अगस्त 2015 को हस्ताक्षर किए गए।

निम्नलिखित समझौते हुए :

## अनुच्छेद 1-उद्देश्य

यह समझौता ज्ञापन (जिसे इसमें आगे "एमओयू" कहा गया है) वीईटी और कौशल विकास में पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक लाभ के आधार पर सुदृढ़ सहयोग का समर्थन करने के लिए रूपरेखा और सामान्य सिद्धांत प्रदान करता है।

## अनुच्छेद 2- क्षेत्र और सहयोग का स्वरूप

इस समझौता ज्ञापन के तहत आने वाली सहकारी गतिविधियां दोनों देशों में से प्रत्येक देश के कानूनों और नियमों के अधीन होंगी। इस समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र और रूप शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे इन तक सीमित नहीं हैं:

(क) पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान, जिनमें शामिल हैं:

(i) वीईटी नीति विकास और सुधार, जिसमें कैरियर मार्गदर्शन और आजीवन शिक्षण शामिल है।
(ii) वीईटी गुणवत्ता आश्वासन और अर्हता ढांचा।
(iii) वीईटी आंकड़े और श्रम बाजार सूचना प्रणाली।
(iv) स्कूल आधारित शिक्षुता सहित, स्कूलों में वीईटी।
(v) पूर्व शिक्षण की मान्यता।
(vi) अनुसंधान और विश्लेषण इकाई की स्थापना सहित वीईटी अनुप्रयोग अनुसंधान।

(ख) सहयोगी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की संयुक्त योजना और कार्यान्वयन, जिनमें शामिल हैं:
(i) प्राथमिकता वाले उद्योग क्षेत्रों में व्यावसायिक मानकों का विकास, भारतीय रिम महासागर संघ के माध्यम से किए गए कार्य पर निर्माण।
(ii) प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाना।
(iii) इंटर्नशिप और शिक्षुता का आदान प्रदान।

(ग) वीईटी प्रदाताओं और सहयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों में उद्योग और वीईटी प्रदाताओं के बीच संबंधों की पारस्परिकता और पारस्परिक यात्राओं, बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों जैसे पारस्परिक संपर्क।

## अनुच्छेद 3- फंडिंग

इस समझौता ज्ञापन के तहत सहकारी गतिविधियों की लागत प्रतिभागियों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित की जाएगी और यह निधियों की उपलब्धता के अधीन होगी।

इस एमओयू के कार्यान्वयन में किसी भी प्रतिभागी की पूर्ण स्वायत्तता में कुछ भी कमी नहीं होगी, और न ही किसी भी प्रतिभागी द्वारा किसी भी तरह की बाधाएं या वित्तीय बाध्यताएं लागू की जाएंगी। प्रतिभागी यह समझते हैं कि लागत को व्यक्तिगत रूप से कवर किया जाएगा।

## अनुच्छेद 4- कार्यान्वयन

प्रतिभागी इस समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन करेंगे। इस संयुक्त कार्यकारी समूह की सह-अध्यक्षता भारत गणराज्य के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा, कौशल और रोजगार विभाग द्वारा की

जाएगी, जिसमें अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों की उपयुक्त भागीदारी होगी। संयुक्त कार्यकारी समूह की वर्ष में कम से कम एक बार या इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए प्रतिभागियों द्वारा पारस्परिक रूप से जैसा भी निर्धारित किया जाए, बैठक होगी। प्रत्येक देश संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठकों को वैकल्पिक आधार पर या अन्यथा पारस्परिक रूप से निर्धारित करेगा।

इस एमओयू के तहत सहकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए प्रतिभागी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।

## अनुच्छेद 5- विवाद निपटान

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद का निपटारा, प्रतिभागियों के बीच बातचीत या परामर्श के माध्यम से सौहार्दपूर्वक तरीके से किया जाएगा।

## अनुच्छेद 6- संशोधन

इस एमओयू में किसी प्रकार के आशोधन या संशोधन के लिए कोई भी प्रतिभागी लिखित में अनुरोध कर सकता है। इस तरह का आशोधन या संशोधन प्रतिभागियों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित की जाने वाली तारीख से लागू होगा और इस समझौता ज्ञापन का हिस्सा बनेगा।

## अनुच्छेद 7- प्रभाव और समाप्ति

(क) यह एमओयू प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी होगा और पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। प्रत्येक प्रतिभागी सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य कारणों से, अस्थायी रूप से या पूरी तरह से इसे निलंबित करने के लिए या इस एमओयू के कार्यान्वयन को निलंबित करने के अपने इरादे की लिखित में कम से कम छह महीने पहले अग्रिम सूचना देने के बाद कर सकता है।

(ख) प्रत्येक प्रतिभागी इस एमओयू को समाप्त करने के अपने इरादे की कम से कम छह महीने पहले लिखित में अग्रिम सूचना देने के बाद इसे समाप्त कर सकता है। इस एमओयू की समाप्ति इस एमओयू की समाप्ति से पहले किए गए किसी भी कार्यक्रम और परियोजनाओं को तब तक प्रभावित नहीं कर सकती है, जब तक कि प्रतिभागियों द्वारा अन्यथा पारस्परिक रूप से निर्णय नहीं लिया जाता है।

(ग) यदि प्रतिभागियों में से कोई भी एक इस समझौता ज्ञापन के समाप्त होने छह महीने पहले इसमें परिवर्तन, आशोधन या इसे रद्द करने का अनुरोध नहीं करता है तो यह एमओयू अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए स्वत: नवीनीकृत हो जाएगा।

इसके साक्ष्य के रूप में संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

दो मूल प्रतियों प्रत्येक हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की एक-एक प्रति, जिनके पाठ समान रूप से मान्य होंगे, पर कैनबरा और नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। व्याख्या में विचलन के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| तारीख: | तारीख: |
| [नाम] | [नाम] |
| [स्थान] | [स्थान] |
| भारत गणराज्य का कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय | ऑस्ट्रेलिया सरकार का शिक्षा, कौशल और रोजगार विभाग |